मुख्य अभियन्ता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण
जल संसाधन विभाग, पटना–800002

पत्रांक–2/मु0अ0–02–06/2022(पार्ट–I) 1282 पटना/दिनांक– 11.04.2026

प्रेषक,

ई0 एजाज कलीम
मुख्य अभियन्ता ।

सेवा में,

खनिज विकास पदाधिकारी
जिला खनन कार्यालय,
अरवल।

विषय :– अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट संख्या–04 (अहियापुर–03) से बालू लदे वाहनों के परिचालन हेतु सोन नदी में लोहे के अस्थाई IRON BRIDGE स्ट्रक्चर देकर मार्ग बनाने हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक– बाढ़(मो0)सिं0–66/2015–अंश–II–1366 दिनांक–09.04.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त विभागीय निदेश तथा आपके पत्रांक–860 दिनांक–26.09.2025 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में अरवल जिलान्तर्गत सोन नदी के बालूघाट संख्या–04 (अहियापुर–03) से बालू लदे वाहनों के परिचालन हेतु सोन नदी में लोहे के अस्थाई IRON BRIDGE स्ट्रक्चर देकर मार्ग बनाने हेतु अनुमति/अनापत्ति निम्नांकित शर्तों के साथ दी जाती है, जिससे की नदी के जलप्रवाह/तटबंधों/संरचनाओं/Morphological Behavior पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

1. बालू परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों को तिरपाल से ढका हुआ होना चाहिए, ताकि बालू के कारण वायु प्रदूषण न हो। इस रास्ते पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना आवश्यक होगा, ताकि वाहनों के परिचालन से उड़ने वाले बालू को नियंत्रित रखा जा सके। उक्त कार्यों को संबंधित विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर कराना होगा ।
2. सोन नदी के दाँये किनारे से नदी भाग में बनने वाले लौह पुल के बाद ई०सी० एरिया में बनने वाले मिट्टी के बांध की ऊचॉई 01 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तथा प्रत्येक 30 मीटर के उपरांत 01 मीटर व्यास एवं तीन मीटर लंबा ह्यूम पाईप लगाया जाना आवश्यक होगा ।
3. बाढ़ अवधि में बालू परिवहन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। बाढ़ अवधि के पूर्व इन संरचनाओं को संबंधित विभाग के द्वारा स्वयं के व्यय पर नदी के बेड से हटाया जाना बाध्यकारी होगा।
4. लौह पुल बनाने एवं इस पर परिचालन की पूर्ण जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी। इस पुल पर किसी भी तरह की क्षति की जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी ।
5. अस्थायी संरचना के निर्माण से नदी के बहाव में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाय एवं इसे अविरल रखा जाय। इसके लिए नियमित रूप से साफ–सफाई की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी।
6. कार्य समाप्ति के बाद स्थल पर बचे सभी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटा लिया जाय ।
7. नदी से बालू की कटाई जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा निर्धारित तल लेवल (1.50m) से अधिक गहराई से नहीं किया जाय तथा एन०एस०एल० एवं किनारों को किसी भी हाल में डिस्टर्व नहीं किया जाय।
8. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाय ।

9. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा। विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी समय बिना कारण बताए विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
10. नदी तट के किसी भी भाग पर आवेदक का स्वामित्व नहीं होगा।
11. रैम्प एवं नदी तट के किनारे को क्षरण से बचाने के लिए नियमित रूप से संपोषण की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
12. संरचनाएँ बिल्कुल अस्थायी एवं निजी प्रयोग के लिए है, इसलिए इसकी स्थायित्व एवं मजबुती की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित की होगी।
13. संबंधित विभाग को इस अस्थाई संरचना के दोनो ओर एक–एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि "अस्थायी संरचना, आम लोगों के लिए वर्जित है"।
14. जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देश का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
15. किसी भी अप्रिय घटना के लिए संबंधित विभाग जिम्मेवार होगा ।
16. आपात परिस्थिति में विभागीय पदाधिकारियों के निदेश पर तत्काल अस्थायी पुल को संबंधित विभाग द्वारा हटाना होगा ।
17. संरचना निर्माण के दौरान पूर्व से निर्मित संरचनाओं आदि को किसी प्रकार की क्षति न हो। क्षति होने पर इसकी मरम्मति की सारी जबावदेही संबंधित विभाग की होगी एवं संबंधित विभाग अपने व्यय से क्षतिग्रस्त भाग का सुदृढ़ीकरण/मरम्मति करने के लिए बाध्य होगा ।
18. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1/पी०एम०सी०/विविध/161/2023–205 दिनांक–20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित्त CBuD APP (Call before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।
19. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 31.05.2026 तक प्रभावी रहेगा ।
20. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करते हुए विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

विश्वासभाजन

(एंजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांकः– 1282 पटना/दिनांकः– 11.04.2026

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांकः–1282 पटना/दिनांकः– 11.04.2026

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक– 1282 दिनांक– 11.04.2026

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

11/04/26

(एजाज कलीम)
मुख्य अभियन्ता

11/04/26